

अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1271, दिनांक 22 मई, 2001

यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि नीचे पैरा (3) में सूचीबद्ध उद्यम/औद्योगिक उपक्रम केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23छ) के प्रयोजन हेतु, आयकर नियम, 1962 के नियम 2इ के साथ पठित, मूल्यांकन वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

2. यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि-

(i) उद्यम/औद्योगिक उपक्रम आयकर नियम, 1962 के नियम 2इ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23छ) के प्रावधानों के अनुरूप होगा और उनका अनुपालन करेगा;

(ii) केंद्र सरकार इस अनुमोदन को वापस ले लेगी यदि उद्यम/औद्योगिक उपक्रम

(a) अवसंरचना सुविधा का संचालन बंद कर देता है; या

(b) आयकर नियम, 1962 के नियम 2इ के उप-नियम (7) के अनुसार आवश्यक लेखा पुस्तकों का रखरखाव करने और ऐसे खातों की एक लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा कराने में असफल रहता है; या

(c) आयकर नियम, 1962 के नियम 2इ के उप-नियम (7) के अनुसार आवश्यक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

3. अनुमोदित उद्यम/औद्योगिक उपक्रम इस प्रकार हैं -

(i) 18 मेगावाट (4 x 4.5 मेगावाट) वांकुसावड़े, सतारा ज़िला, महाराष्ट्र में कर्मा एनर्जी लिमिटेड, एम्पायर हाउस, 214, डॉ. डी. एन. रोड, एंट. ए. के. नायक मार्ग फोर्ट, मुंबई-400 001 [एफ. सं. 205/33/2001/आईटीए-II]।

(ii) 220 मेगावाट तनीर बावी पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मंगलौर के तनीर बावी में 220 मेगावाट नैष्ठा आधारित विद्युत परियोजना और विद्युत उत्पादन, स्किप हाउस, 25/1, म्यूजियम रोड, बेंगलुरु-560 025, [एफ. सं. 250/70/98-आईटीए-II, खंड I]

[अधिसूचना संख्या 131/2001 एफ. सं. 205/33/2001 और 2505/70/98 (कॉलम I) आईटीए-II]